



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक:- 25.11.2020

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा शराब तस्क़र गिरफ्तार, कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद ।

दिनांक 24.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री नित्यानंद राय के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब के निर्माण/तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान कुडाना के जंगल से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रोहताश पुत्र सुन्दरा निवासी ग्राम कुडाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध कच्ची शराब 40 लीटर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री सत्यनारायण दहिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. का0 ट्विंकल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना गढीपुख्ता

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा कस्बा गढीपुख्ता में देशी शराब की दुकान के सेल्समैन के साथ हुई मारपीट की घटना के 12 घण्टे के भीतर, 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल एवं 03 मोबाइल फोन बरामद:-

आज दिनांक 25.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सूचना पर ग्राम औदरी से कस्बा गढीपुख्ता में देशी शराब की दुकान के सेल्समैन के साथ मारपीट करने वाले 04 अभियुक्तों को घटना के 12 घण्टे के भीतर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिसके सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 24.11.2020 की शाम देशी शराब की दुकान पर कार्यरत सेल्समैन बालेंद्र पुत्र मांगेराम निवासी दुल्लाखेड़ी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के साथ शराब के पैसे उधार करने को लेकर हुए विवाद में 04 अभियुक्तों द्वारा लाठी-डण्डों से मारपीट की घटना की थी जिसके संबन्ध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त मारपीट की घटना को गम्भीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा तत्काल गिरफ्तारी हेतु थाना गढीपुख्ता पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1- रवि पुत्र मुकेश निवासी कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2- शिवम पुत्र संजीव निवासी कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 3- अमित पुत्र अमरपाल निवासी कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 4- रवि पुत्र सतवीर निवासी कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

- 1- घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल (1. हीरो स्पलेण्डर प्लस नं0- UP-12P-4253, हीरो होण्डा CD-DOWN नं0- UP-15S-9343।
- 2- 03 मोबाइल फोन (सैमसंग, ओप्पो, विवो टच स्क्रीन)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2- उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 3- का0 धनपाल थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 4- का0 प्रवीण कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 5- का0 मनोज कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।



01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 पच्चे देशी शराब बरामद-

दिनांक 24.11.2020 को 21.40 बजे थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा ग्राम कच्ची गढी से 01 अभियुक्त हसीन पुत्र नहीम निवासी ग्राम कच्ची गढी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 145/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा बलात्कार में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 25.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर केरटू बस अड्डे से बलात्कार के अभियोग में 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

विदित हो कि दिनांक 22.10.2020 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत एक 19 वर्षीय युवती के बलात्कार की घटना के संबंध में पीड़ित युवती द्वारा थाना झिंझाना पर घटना के संबंध में लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक को दिये गये। घटना के बाद से थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सलमान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम फतेहपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. शमशाद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम फतेहपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मु0अ0सं0 224/2020 धारा 366, 368, 328, 323, 352, 506, 120B भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली (सलमान व शमशाद उपरोक्त)
2. 231/2020 धारा 3 UP गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली (सलमान उपरोक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सर्वेश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री नन्दकिशोर थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 रोहित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. का0 संदीप थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कैराना

01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 लीटर रेकटीफाइड शराब बरामद-

दिनांक 24.11.2020 को 14.15 बजे थाना कैराना पुलिस द्वारा तितरवाड़ा चुंगी पुलिस से 01 अभियुक्त फरमान पुत्र तोहसीफ निवासी मौहल्ला पीरजादगान थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 521/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि पंजीकृत किया गया।